न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 17/2021

प्रार्थीगण :– 1. दौलाराम पुत्र प्रागाराम जाति कलबी चौधरी निवासी आसाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. कमलेश पुत्र गुणेशाराम
2. नवाराम पुत्र रणछोडराम
3. कुम्भाराम पुत्र रणछोडराम सभी जातियान कलबी चौधरी निवासी असाडा तहसील पचपदरा।
4. थार आंचलिक ग्रामिण बैंक वर्तमान राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा असाडा जरिय शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम

'निर्णय'

दिनांक :–15.02.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि सरहद मौजा असाडा तहसील पचपदरा में खेत खसरा न0 2831/795 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. रास्ता खसरा न0 2832/795 रकबा 33.15 बीघा की भूमि प्रार्थी क खातेदारी हक हिस्से की आई हुई है। नकल खतौनी संलग्न पेश है। इसी प्रकार खेत खसरा न0 2829/795 रकबा 6.00 बीघा गै. मू रास्ता व खसरा न0 2830/795 रकबा 17.18 बीघा की भूमि विप्रार्थीगण के खातेदारी हक हिस्से की आई हुई है। नकल खतौनी व नक्शा पेश है। प्रार्थी एवं विप्रर्थीगण आपस में रिश्तेदार है, तथा उपरोक्त खातेदारी खेत की भूमि पूर्व में प्रार्थी एवं विप्रार्थी के द्वारा संयुक्त रूप से काश्त की जा रही थी, जिसमें बाद में भाई बंट में बंटवाड होने से राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त भूमि अलग–अलग हिस्से के तौर पर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड मं दर्ज की गई तथा उनकी अलग से बट्टे कायम किये गये। मगर राजस्व रेकर्ड के नकशे मे माफिक हक हिस्से की भूमि तरमीम नहीं की गई। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्उ में अलग –अलग भूमि बट्टे के तौर पर दर्ज होने के उपरान्त प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण मौके पर अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज व काश्त के प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत की भूमि के मध्य मौके पर माठे व पुराने वृक्ष खडे है। जिसको स्पष्ट करने के लिये नजरी नक्शा परिष्ठि :'अ' पेश किया गया है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड के नक्शे में की गई गलत तरमीम को माफिक नजरी नक्शा परिष्टि :'अ के अनुसार दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी ... की और से ईकबाली जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना प... नजरी परिशिष्ट 'अ' के माफिक राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है ... कोई एतराज नही जिस हेतु हम विप्रार्थीगण सहमत है। विप्रार्थी संख्या 01 ... संख्या 01 ता 4 न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थी के द्वारा चाही गई इस्तदुआ की उपरोक्त आराजी भूमि में तरमीम दुरूस्त करने करने में लिखित में अपनी सहमति प्रकट की गयी। ... प्रार्थी संख्या 05 जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पचपदरा स्वंय उपस्थित ने जाहिर किया की पक्षकार के द्वारा चाही गई इस्तदुआ गैर मुमकिन रास्ते के रकबे में परिवर्तन आयेगा जिसके लिए यदि पक्षकार सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:07:20 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

हमने विद्ववान अधिवक्तागण एवं तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन यह पाया गया । प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई मगर राजस्व रेकर्ड में नक्शे में माफिक हक हिस्से की भूमि तरमीम नहीं की गई । प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी परिशिष्ट 'अ' के माफिक राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की सहमति के आधार पर स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे सरहद मौजा असाडा तहसील पचपदरा में खेत खसरा न0 2831/795 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. रास्ता खसरा न0 2832/795 रकबा 33.15 बीघा, खेत खसरा न0 2829/795 रकबा 6.00 बीघा गै. मू रास्ता व खसरा न0 2830/795 रकबा 17.18 बीघा की भूमि गलत की गई तरमीम को प्रार्थना–पत्र के सलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट – 'अ' प्रस्तावित नजरी नक्शा में चिन्हित की गई अनुरुप ही रास्ते के रकबे में परिवर्तन करवाते हुए तरमीम दुरुस्ती लटठा ट्रेस राजस्व रेकर्ड करवारकर पालना पन्द्रह योम में भिजवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट – 'अ' प्रस्तावित नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग होगा।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:07:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner